



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20032025-261770
CG-DL-E-20032025-261770

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 20, 2025/फाल्गुन 29, 1946

No. 148]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 20, 2025/PHALGUNA 29, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2025

सं. 18/2025-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 183(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2012-सीमा शुल्क, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 129(अ), दिनांक 9 मार्च, 2012 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में शर्त (v) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“वशर्ते कि गोल आकार के हीरों के लिए व्यास में ± 0.05 मिमी और अन्य आकार के हीरों के लिए लंबाई और चौड़ाई में ± 0.07 मिमी से अनधिक का अंतर, ऊंचाई में ± 0.01 मिमी से अनधिक का अंतर और वजन में ± 1 सेंट से अनधिक अंतर अनुज्ञात होगा।”

[फा. सं. 190354/164/2024-टीआरयू]

दिलमिल सिंह सोच, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना संख्या 09/2012-सीमा शुल्क, को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 129 (अ), दिनांक 9 मार्च, 2012 को प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 28/2023-सीमा शुल्क, जिसे सा.का.नि. संख्या 263 (अ), दिनांक 1, अप्रैल 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया था, के माध्यम से संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2025

No. 18/2025-Customs

G.S.R. 183(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 9/2012-Customs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 129(E), dated the 9th March, 2012, namely :-

In the said notification, in condition (v), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :-

“Provided that a variance not exceeding ± 0.05 mm in diameter for round shape diamonds and ± 0.07 mm in length and breadth for diamonds of other shapes, variance not exceeding ± 0.01 mm in height and variance not exceeding ± 1 cent in weight shall be allowed.”.

[F. No. 190354/164/2024-TRU]

DILMIL SINGH SOACH, Under Secy.

Note: The principal notification No. 09/2012-Customs, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 129(E), dated the 9th March, 2012 and was last amended *vide* notification No. 28/2023-Customs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 263(E), dated the 1st April, 2023.